राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित सडक–पुलिया/2018–19/11482-92 दि. 6/3/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर ।

विषय– सोम से सरवण डामरीकरण सडक निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 10123–31 दिनांक 21.02.2019 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में निम्नलिखित डामरीकरण सडक निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कोटडा का पत्र कमांक 722–24 दिनांक 21.02.2019 से प्राप्त तक नीकी स्वीकृति अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

कार्यकारी एजेन्सी–सार्वजनिक निर्माण विभाग

राशि लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त
		क./दि.	राशि	क./दि.	राशि	देय राशि
1	2	3				
1	सोम से सरवण डामरीकरण सडक निर्माण लम्बाई 2.75 कि.मी. पं.सं. फलासिया	10123–31/21.02.19	118.67	100/2018-19	134.09	67.05

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 134.09 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त 67.05 लाख की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या– 64/ 2018–19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 1001.69 लाख में से होगी। शेष राशि कार्यो की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. राशि का व्यय तकनिकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावें। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें। **कार्यादेश की प्रति** इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावें।
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यो के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित सडक–पुलिया/2018–19/11482-92 दि. 6/3/19

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिशिचित करें।
6. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कोटडा जिला उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिशिचित करें।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या– 64/ 2018–19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 1001.69 लाख में से प्रथम किश्त की राशि 67.05 लाख (50 प्रतिशित) परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तांतरित करें।
8. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
9. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड पत्रावली।

अति आयुक्त (II)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर